

सरकारी पेंशन खातों में 44 लाख का गबन

ईओडब्ल्यू ने दर्ज की 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

भोपाल, 09 दिसंबर. सरकारी पेंशन खातों में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है. ईओडब्ल्यू ने मामले में बैंक कर्मचारियों और उनके परिचितों पर एफआईआर दर्ज की है.

आरोप है कि एटीएम कार्ड और फाइनेंस सिस्टम का दुरुपयोग कर 44 लाख का गबन किया गया है. ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 7 आरोपियों को नामजद किया है. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) से मिली जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया

भोपाल की शिकायत पर मामले की जांच के बाद बैंक के दो कर्मचारियों और पांच सह-आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया. बैंक कर्मचारी दीपक जैन (विशेष सहायक) तथा अजय सिंह परिहार (स्टाफ क्लर्क) ने अपनी पदस्थापना का दुरुपयोग करते हुए बड़ी राशि का गबन किया है. ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि दोनों कर्मचारियों ने बैंक नियमों के विपरीत, जहाँ एक कर्मचारी एंटी करता है और दूसरा वेरिफाई करता है. दोनों ने अपनी खुद की आईडी का उपयोग कर

एक-दूसरे के लेनदेन को सत्यापित किया. खाते सक्रिय होते ही उनकी जमा राशि को चार अन्य परिचित खाताधारकों खुशबू खान, कल्पना जैन, ललिता ठाकुर और अफरोज खान के खातों में ट्रांसफर किया गया.

इन सभी के एटीएम कार्ड आरोपी दीपक जैन के पास थे, जिसके माध्यम से नियमित रूप से नगद निकाली जाती रही. आरोपियों के बीच अवैध रूप से प्राप्त धनराशि का बँटवारा 70:30 के अनुपात में किया जाता था. यह धोखाधड़ी लगभग तीन वर्षों

विभागीय जांच में अनियमितताएं उजागर

मामले का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2019 को सैफिया कॉलेज शाखा में एक महिला भगवती देवी ने अपने मृत पति के खाते से अवैध निकाली की शिकायत दर्ज कराई. शाखा प्रबंधक ने आंतरिक जांच में पाया कि संदिग्ध लेनदेन अजय सिंह परिहार और दीपक जैन की तरफ से किया गया है. इसके बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, जहां बैंक की विजिलेंस यूनिट एवं विभागीय जांच में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताएं उजागर हुईं.

(जनवरी 2016 से मार्च 2019) तक विभिन्न शाखाओं में चलती रही और कुल 227 बचत खातों से लगभग 44.11 लाख की राशि अवैध रूप से डेबिट की गई. जांच के दौरान फिनेकल लॉग, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, एटीएम निकासी विवरण, ऑफिट ट्रेल एवं विभिन्न शाखाओं के रिकॉर्ड के विश्लेषण से आरोपियों की भूमिका पूरी तरह से सिद्ध हुई.

सर्विस वोटर्स का एसआईआर 16 से

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 9 दिसंबर. चुनाव आयोग ने सर्विस वोटर्स से संबंधित निर्वाचन सूची के अंतिम भाग की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है.

यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 को योग्यता तिथि के आधार पर किया जा रहा है. प्रदेश में सर्विस वोटर्स का एसआईआर 16 दिसंबर से शुरू होगा. आयोग ने

अपने 4 नवंबर को जारी आदेश को निरस्त करते हुए नई समय-सारणी अधिसूचित की है, जिसे देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जिनमें अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. चुनाव आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों—रक्षा, गृह, विदेश

मंत्रालय—तथा सीमा सड़क संगठन और संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य

वनों में कटाई-सफाई का कार्य नियमित कराएँ

भोपाल. अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल ने कहा है कि वनों में बांस भिरी कटाई-सफाई का कार्य प्रतिवर्ष नियमित कराया जाये. लघुवनोपज आधारित प्रजातियों का पौधारोपण अधिक संख्या में हो. उन्होंने प्रसंस्करण केन्द्र में तैयार उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन पर जोर देते हुए कहा कि विक्रय बढ़ाने के लिये समन्वित प्रयास किये जायें. अपर मुख्य सचिव बर्णवाल सोमवार को पत्रा में त्रिफला प्रसंस्करण केन्द्र आंवला उद्यान सकरिया में ग्राम वन समिति हीरापुर के सदस्यों की बैठक में शामिल हुए. बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी.एन. अम्बाई भी मौजूद थे. अपर मुख्य सचिव बर्णवाल ने पत्रा में त्रिफला प्रसंस्करण केन्द्र में तैयार आंवला मुरब्बा, आंवला केण्टी, आंवला सुपाई, आंवला अचार का निरीक्षण किया. उन्होंने बीट गद्दी परडिया के एनपीडी. कैम्पा मिश्रित रोपण वर्ष 2024 रकवा 40 हेक्ट, आरडीएफ रोपण वर्ष 2025 रकवा 50 हेक्ट. और एनपीडी कैम्पा मिश्रित रोपण वर्ष 2021 रकवा 50 हेक्ट. का निरीक्षण किया.

निर्वाचन अधिकारियों को इस संशोधित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

भाषण प्रतियोगिता आयोजित

भोपाल 9 दिसंबर.

अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारक दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, श्यामला हिल्स, भोपाल में सत्यनिष्ठा क्लब के अंतर्गत सतर्कता विभाग, एनएचडीसी द्वारा मंगलवार को युवा छात्र-छात्राओं के मध्य भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से इस वर्ष के विषय niting With Youth Against Corruption: Shaping tomorrow's Integrity पर तात्कालिक और भाषण प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा बड़-चढ़कर प्रतिभागिता की गई. प्रतिभागियों ने सत्यनिष्ठा, सतर्कता एवं देशभक्ति के विचारों को

समाहित करते हुए बहुत सुंदर तरीके से अपने वक्तव्यों से पूरे सभागार को ऊर्जावित कर दिया. इस अवसर पर प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता, प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, श्यामला हिल्स, भोपाल एवं विक्रम रावूर, महाप्रबंधक (सतर्कता) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल ने अपने उद्बोधन में छात्र-छात्राओं को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता अपनाने व दैनिक कार्यों को पारदर्शिता व ईमानदारी से करने का आह्वान किया. कार्यक्रम के अंत में विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर कार्यक्रम का समापन किया गया.

नई संशोधित समय-सारणी

-निर्वाचन सूची के अंतिम भागों का प्रारंभिक प्रकाशन : 16 दिसंबर
-रिकॉर्ड/कमांगि अधिकारियों द्वारा फॉर्म प्राप्त करने, सत्यापन, स्कैनिंग और एक्सएमएल फाइल तैयार व अपलोड करने की अंतिम तिथि: 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक, -हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फॉर्मों तथा एक्सएमएल फाइलों का निपटान, अधूरे फॉर्म और एक्सएमएल फाइलें वापस की जाएंगी.

एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन सामान्य रहा

भोपाल। राजाभोज हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन मंगलवार को पूरे दिन सुचारू और सामान्य रहा, सभी निर्धारित उड़ानें समय पर संचालित हुईं. लगभग 4,300 यात्रियों ने रात 11 बजे तक हवाई अड्डे से यात्रा की, जो निर्बाध संचालन और कुशल सुविधा को दर्शाता है. निदेशक रामजी अवस्थी ने बताया कि कोई रद्दीकरण नहीं. सभी उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित हुईं. भोपाल हवाई अड्डा सुचारू संचालन और समय पर यात्री सुविधा सुनिश्चित करने में हमारी मदद करने के लिए अपने एयरलाइन भागीदारों इंडिगो और एयर इंडिया को धन्यवाद देना चाहता है. किसी भी

आज 21:00 बजे तक संचालित उड़ानें

- 6ई258/257 पीएनएच-बीएचओ-पीएचएच
- 6ई7525/7526 एएमडी-बीएचओ-एएमडी
- 6ई6602/6603 डेल-बीएचओ-डेल
- एआई1705/1886 डेल-बीएचओ-डेल
- 6ई7594/7595 एचवाईडी-बीएचओ-एचवाईडी
- 6ई368/393 बीएलआर-बीएचओ-बीएलआर
- 6ई5172/2162 बीओएम-बीएचओ-बीओएम
- एआई1723/1894 डेल-बीएचओ-डेल
- एआई633/634 बम-भो-बम
- 6ई7121/7302 एचवाईडी-बीएचओ-आरपीआर
- 6ई6364/6365 डीईएल-बीएचओ-डीईएल
- 6ई366/367 जीओआई-बीएचओ-जीओआई
- 6ई7281/7122 आरपीआर-बीएचओ-एचवाईडी
- 6ई5298/6715 बम-भो-बम
- 6ई7568/7569 एएमडी-बीएचओ-एएमडी
- A12759/2760 डेल-बीएचओ-डेल
- 6ई6465/6466 बीएलआर-बीएचओ-बीएलआर

असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले उड़ान की अद्यतन स्थिति की जांच कर लें.

एलपी टरबाइन आउटर केसिंग किया रवाना

बीएचईएल संवाददाता

भोपाल. बीएचईएल भोपाल में आयोजित एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण समारोह में महाप्रबंधक एवं इकाई प्रमुख प्रदीप कुमार उपाध्याय ने अदानी पावर लिमिटेड के लिए निर्मित पहले एलपी टरबाइन सेट के आउटर केसिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह महत्वपूर्ण घटक एएसटीएम ब्लॉक-6 में तैयार किया गया है और रायपुर चरण-डुड्डू (2x800 मेगावाट) यूनिट-1 के लिए भेजा जा रहा है। कार्यक्रम में अदानी पावर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी प्रियंजय मौर्या उपस्थित रहे, जिसने दोनों संस्थाओं के सहयोग को और सुदृढ़ किया। इस अवसर पर बीएचईएल के प्रमुख अधिकारी—विपुल अग्रवाल, महाप्रबंधक (एमएम); राजेश कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक (एसओएम); एवं प्रदीप चंद्र कांडपाल, महाप्रबंधक (थर्मल एवं लॉजिस्टिक्स)—भी मौजूद रहे।

अदानी पावर के लिए बीएचईएल ने भेजा

विभागाध्यक्ष ए.के. गुप्ता, विनिर्माण प्रभारी राजेश सिंह यादव तथा एएसटीएम विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिससे इस उपलब्धि का महत्व और बढ़ गया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सामंजस्य और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: के आरएम टॉवर, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकारिता एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सामंजस्य और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संस्थानों के बचक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. वृत्तिके संबंधित ऋण समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं. इसलिए उनके ऋण को आरंभिक दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएफए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सामंजस्य और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है. जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित विधियों से अनुबंध वर के अनुसार सूचित किया जाएगा.

क्र. स.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेशन 13 (2) नॉटिस अनुसार बकाया राशि	सेशन 13 (2) नॉटिस अनुसार बकाया राशि
1.	153805058	संयुक्त ऋण	29.11.2025	₹. 21,72,052.85/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. चंदन सिंह खट्टी 2. सावित्री चंदन सिंह खट्टी

संयुक्त का पता: एक व्यावसायिक दुकान संख्या C-13, क्षेत्रफल 130 वर्ग फुट का बड़े पूरा टुकड़ा अर्थात् 12.08 वर्ग फुट, भुलत पर, ब्लॉक-सी, वाणिज्यिक मंडी परिसर, करौट, जिला- भोपाल, मध्य प्रदेश-462038 में स्थित, और इकाई सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- रोड, पश्चिम- दुकान संख्या सी-29, उत्तर- दुकान संख्या सी-12, दक्षिण- दुकान संख्या सी-14.

आपकी उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सामंजस्य और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है. जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित विधियों से अनुबंध वर के अनुसार सूचित किया जाएगा.

क्र. स.	वहन का विवरण	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन मालिक /आरोपी का नाम/पता	अपराध का प्रकार	जारी स्थल
1.	22870/25 07.11.2025	द्वैधर INDOFARM नीला रंग एवं एक सीला-ड्रिल मशीन	MP-37-A4364 इ.नं. IMY 3035001493 इ.नं. C323401476MY	(वाहन मालिक) हयात आ. नारायण सिंह, जाति वैश्य, नि. ग्राम कुलीकला	वनभूमि पर जुलाई/बुआई करते हुए जप्त
2.	42295/06 13.11.2025	मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर फ्लस	बिना नम्बर वैधिस नम्बर, डूंगन नम्बर अस्पष्ट	अज्ञात	सिगाडी इमारती चरपट का अवैध परिवहन
3.	42208/20 14.11.2025	मारुति ओमनी सुजुकी स्फेडर रंग	MP-09-BA-2617	अज्ञात	सागीन इमारती चरपट का अवैध परिवहन
4.	42208/15 23.07.2025	मोटर साइकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स काला रंग	पंजीयन नम्बर, डूंगन/ वैधिस नम्बर अस्पष्ट	अज्ञात	सागीन इमारती चरपट का अवैध परिवहन

दिनांक-09.12.2025 स्थान: भोपाल

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी उपवनमंडल (सा.) सीहोर (म.प्र.)

विज्ञापित

क्रमांक/तिथि/3572 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन अपराध प्रकरण में निम्नानुसार वाहन अवैध सागीन इमारती वनोपज परिकरन करते हुए मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) 15 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, 41 के अंतर्गत जप्त किए गए हैं. कुछ प्रकरणों में वाहन मालिकों को कारण बताओ सूचनाएं जारी करने के उपरान्त भी वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं. प्रकरण ज्ञात/ अज्ञात में पंजीबद्ध हुए हैं. अतः विहित प्रकरणों के 07 दिवस के अंदर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारी उप वनमंडल (सा.) सीहोर के कार्यालय में उपस्थित होकर जप्त वाहनों में हित/ हक रखने वाले अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में जप्त वाहनों को राजस्वतक करने की एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी. प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वन अपराध प्रकरण क्रमांक/दिनांक	वाहन का विवरण	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन मालिक /आरोपी का नाम/पता	अपराध का प्रकार	जारी स्थल
1.	22870/25 07.11.2025	द्वैधर INDOFARM नीला रंग एवं एक सीला-ड्रिल मशीन	MP-37-A4364 इ.नं. IMY 3035001493 इ.नं. C323401476MY	(वाहन मालिक) हयात आ. नारायण सिंह, जाति वैश्य, नि. ग्राम कुलीकला	वनभूमि पर जुलाई/बुआई करते हुए जप्त	बीट धुराडाखुई के कक्ष क्र. आर.एफ. 105, रकबा 0.560 हेक्टेयर क्षेत्र में वाहन टुकटार INDOFARM एवं एक सीड-ड्रिल मशीन द्वारा वनभूमि पर जुलाई/बुआई करते हुए जप्त.
2.	42295/06 13.11.2025	मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर फ्लस	बिना नम्बर वैधिस नम्बर, डूंगन नम्बर अस्पष्ट	अज्ञात	सिगाडी इमारती चरपट का अवैध परिवहन	सिगाडी घाट से झुझवाला के रास्ते पर कंजर वाली गुवाडी कक्ष क्रमांक 230 में मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर फ्लस बिना नम्बर द्वारा सागीन इमारती चरपट का अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त.
3.	42208/20 14.11.2025	मारुति ओमनी सुजुकी स्फेडर रंग	MP-09-BA-2617	अज्ञात	सागीन इमारती चरपट का अवैध परिवहन	ग्राम सिगाडी में सागीन इमारती चरपट का अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त.
4.	42208/15 23.07.2025	मोटर साइकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स काला रंग	पंजीयन नम्बर, डूंगन/ वैधिस नम्बर अस्पष्ट	अज्ञात	सागीन इमारती चरपट का अवैध परिवहन	ग्राम बाघवा (वेनिया) से मोटर साइकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स काला रंग द्वारा सागीन इमारती चरपट का अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त.

G22489/25

मुरेना में लगंगे स्मार्ट मीटर

भोपाल/ मुरेना, 09 दिसंबर. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर अभियान के तहत मुरेना जिले में 97 हजार 988 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से अब तक 5 हजार 206 से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं. यह जानकारी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक सीके पवार ने दी.

नाम परिवर्तन

मैं रविराज सिंह राजपूत आत्मज श्री डेलन सिंह निवासी H.No. 28 रेहली जिला सागर म.प्र. सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम RATURAJ THAKUR दर्ज है जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम RITURAJ THAKUR है जो सही है इसी नाम को दर्ज किया जाए, इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

R.N.-58453

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजेश सरोदे, आत्मज स्व. श्री बाबूराव सरोदे निवासी, ई-24, पहाड़ी मंदिर के पास, नीलगिरी नगर, राजेन्द्र कालोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) 462042 यह प्रेषित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम त्रुटि से विद्यालय के रिकार्ड में समर्थ राजेश सरोदे लिखा चला आ रहा है। विद्यालय की ओर से रिकार्ड सुधार का अवसर दिया गया था, परन्तु हमारी तरफ से त्रुटि हुई। अतः हब अब अपने पुत्र के नाम में संशोधन कर सही नाम समर्थ राजेश सरोदे कर रहे हैं, जिससे आगे भविष्य में मेरे पुत्र को कोई कठिनाई न हो।

'सुचिकर्ता'

Rishu Rathi S/O Jogendra Singh Rathi

पता - हाउस नंबर -112, रिंगल कस्तूरी, रिंगल टाउन केम्प, अजयपुर, भोपाल - 462021 - मध्य प्रदेश.

कार्यालय रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.)

दूरभाष/फैक्स क्र. - 0731-2419771
क्र. - आरएपीटीसी/व्हा.मा./पी-1403/2025 दिनांक 5/12/2025

ई-निविदा एवं सीलबंद आमंत्रण सूचना

रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर में नव आरक्षक/ इन सर्विस कोर्स प्रशिक्षणियों हेतु मैस संचालन 05 माह के लिए कराया जाना है. मैस संचालन हेतु आवश्यक जानकारी एवं टेंडर फॉर्म, निर्माता फॉर्म के लिए रूपए 5000/- (पांच हजार रूपए) 0055 पुलिस विधिव प्रतियोगिता शीर्ष में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष से जमा कर <https://mptenders.gov.in> एवं www.mppolice.gov.in प्राप्त किया जा सकता है.

- ऑनलाइन ई-निविदा केवल वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर तथा सीलबंद निविदा हार्ड कापी में तत्कनीकी एवं व्यवसायिक निविदा पृथक-पृथक कार्यालय में निर्धारित समय में जमा की जा सकेगी.
- ऑनलाइन निविदा की अंतिम तिथि 22/12/2025 समय 1200 बजे तक है.
- तत्कनीकी बिड खोलने की तिथि 23/12/2025 समय 1200 बजे है.
- व्यवसायिक बिड तत्कनीकी बिड के दस्तावेज परीक्षण उपरान्त खोली जावेगी.

सेनानी, आरपीटीसी, इन्दौर

पश्चिम मध्य रेल

ई निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए कार्य करते हुए निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित करते हैं। इस टेंडर के तहत मैनुअल प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे एवं इसे प्राप्त कोई भी मैनुअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा से संबंधित दस्तावेज वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दिये गये हैं। (1) निविदा सूचना सं. एवं जारी दिनांक: बीपीएल/एन/बक्स/2025-26/टेली/05, दिनांक: 06/12/2025 कार्य का नाम व स्थान: (1) आमनेशन ऑफ बीडियों सेलोनस सिस्टम एच 05 स्टेशन (HD, SCI, BAQ, GUNA, SVPI) ऑफ भोपाल डिविजन। (2) प्रोविजन ऑफ सीसीटीवी फार याई कवरेज ऑफ मेलाईन फेसिंग पॉइंट एच मिसरोल कुवलज कथारा एड निगलतपुर स्टेशन ऑफ भोपाल डिविजन। कार्य की अनुमानित लागत: ₹2,56,60,096.39/- टेंडर फॉर्म की कीमत non refundable: लागू नहीं ब्याना राशि: ₹2,78,300/- कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि: 06 माह निविदा खुलने एवं जमा करने की तारीख एवं समय: खुलने की तारीख 29/12/2025, जमा 15:00 बजे तक खुलने का समय 15:30 बजे। निविदाकर्ता/ बिडर के पास क्लास III डीजीएल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/ बिडर ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पेमेंट गेटे के द्वारा ऑनलाइन मुतालाज की सुविधा उपलब्ध है। निविदा अंतर्गत की कीमत, ब्याना राशि आदि का मूल्यांकन ऑनलाइन मेट्रिफ्ले नेटवर्किंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है।

मध्य रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार), प.म.रे., भोपाल

संस्कृत भारत अभियान एक महत्व स्वच्छता की ओर



बदहाल बस स्टॉप

राजधानी में भोपाल टॉकीज के पास सालों पहले बना बस स्टॉप बेहाल पड़ा है. स्टॉप पर बनी अव्यवस्था के चलते कोई भी शरुख यहां नजर नहीं आता है. मवेशियों ने इसे फिलहाल अपना ठिकाना बना रखा है.

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं

भोपाल। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में सीईओ जिला एडीएम अंकुर मेथ्राम, प्रकाश नायक ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 113 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एसडीएम एवं अन्य अधिकारी

उपस्थित रहे। एडीएम मेथ्राम, नायक ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए।

आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

भोपाल. प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के निर्देश पर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्सिड एवं अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने उद्यमिता विकास निगम (शेडमेप) कार्यालय में प्रदर्शन कर प्रबंधन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल

ई-मेल- ce.tender.wrdmp@gmail.com, फोन- 0755-2767635, फैक्स- 0755-2552406
निविदा सूचना क्रमांक- 1188/2025-26/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग
निम्न कार्य हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है. निविदा प्रपत्र दिनांक 29/12/2025 को 17.30 बजे तक क्रय/ डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं. निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है.

G22491/25

स. क्र.	निविदा क्र. क्र.	कार्य	
---------	------------------	-------	--